



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-01 / 2020
दिनांक : 02.01.2020

कार्यालय आदेश

जिन शोधार्थियों को राष्ट्रीय एजेंसी जैसे-यूजीसी, आईसीएसएसआर आदि के माध्यम से शोधवृत्ति प्राप्त हो रही है उन शोधार्थियों को राष्ट्रीय एजेंसी से प्राप्त होने वाली शोधवृत्ति की समयावधि तक अथवा विश्वविद्यालय में पीएच.डी. शोध कार्य की अवधि समाप्त होने से दो वर्ष अधिक तक, जो भी पहले हो, शोधवृत्ति जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
02/01/20

प्रति :

समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी क्षेत्रीय केंद्र (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. अकादमिक संयोजक
4. वित्त विभाग
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली